

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला (म0प्र0)

:: सिविल कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2026 ::

क्रमांक 25 /सां.लि./एक-9-2/2009

मण्डला, दिनांक 06/07/2026

मैं कमल जोशी, प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला (म0प्र0), पूर्व में जारी सिविल कार्य विभाजन आदेश 28/सां.लि./एक-9-2/2009 मण्डला दिनांक 27.12.2024 एवं उसके पश्चात् किये गये संशोधन संबंधी विभिन्न आदेशों को अतिष्ठित करते हुए व्यवहार न्यायालय नियम 1955 की धारा 15 एवं 21(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार सिविल कार्य विभाजन आदेश जारी करता हूँ, जो दिनांक 07 जुलाई 2026 से प्रभावशील होगा:-

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	क्र0	प्रकरणों का प्रकार जिनके निराकरण का क्षेत्राधिकार होगा।
01	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला	सिविल जिला मण्डला	1	रुपये 2,00,00,001/- (रुपये दो करोड़ एक) से अधिक मूल्य के नियमित व्यवहार वाद ए एवं बी के वाद
			2	मुख्यालय मण्डला एवं भुआ बिछिया में पदस्थ सभी सिविल जज (वरिष्ठ या कनिष्ठ खण्ड) एवं ग्राम न्यायाधिकारी द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उद्भूत नियमित या विविध व्यवहार अपील।
			3	म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 20 के अंतर्गत चुनाव याचिका।
			4	भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा 72, 73, 74 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली याचिका एवं आवेदन पत्र।
			5	म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 24 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली अपील एवं धारा 26 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र।
			6	म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 की धारा 31 के अंतर्गत पेश अपील।
			7	खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत न्याय निर्णय अधिकारी मण्डला द्वारा पारित न्याय निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत अपील।
			8	मानव अधिकार अधिनियम 1993 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली याचिकायें।
			9	धारा 24 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत व्यवहार प्रकरणों के अंतरण संबंधी आवेदन पत्र।
			10	विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 (1963 का 47) की धारा 20(ख) से संबंधित समस्त प्रकरण।
			11	किसी विशेष अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले वाद, अपील एवं आवेदन पत्र की सुनवाई, जिनका क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्रदत्त नहीं किया गया है।
02.	प्रथम जिला न्यायाधीश मण्डला के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश मण्डला	राजस्व तहसील मण्डला	1	तहसील मण्डला से उद्भूत 1,00,00,001/- (एक करोड़ एक) रुपये से 2,00,00,000/- (दो करोड़) रुपये तक मूल्य के नियमित व्यवहार वाद ए एवं बी।
			2	रुपये 500/- से अधिक मूल्य के लघुवाद प्रकरण।
			3	ऐसे समस्त दुर्घटना दावा प्रकरण जिनमें दावेदार तहसील मण्डला क्षेत्र में निवासरत् है या इस क्षेत्र में दुर्घटना कारित हुई हो।

(हस्ताक्षर)

06/07/2026
RJS

			4	सिविल जिला मण्डला के <u>गार्जियन एण्ड वार्डस एक्ट 1890</u> , हिन्दु दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां (कुटुंब न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)
			5	मण्डला क्षेत्र के आरक्षी केन्द्रों द्वारा रिट-पिटीशन (सिविल) क्रमांक 9322/2022 Gohar Mohammad V/s UP State Road Transport corporation & Ors. में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत दुर्घटना से संबंधित प्रस्तुत की जाने वाली पहली दुर्घटना रिपोर्ट (FAR) अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट (IAR) तथा विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (DAR)
			6	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण या आवेदन पत्र।
03.	प्रथम जिला न्यायाधीश जिला मण्डला	राजस्व तहसील मण्डला	1	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण या आवेदन पत्र।
04.	द्वितीय जिला न्यायाधीश मण्डला	राजस्व तहसील मण्डला/भुआ बिछिया एवं घुघरी	1	तहसील भुआ बिछिया एवं घुघरी रुपये 1,00,00,001/- (एक करोड़ एक) रुपये से 2,00,00,000/- (दो करोड़) रुपये तक के नियमित व्यवहार वाद ए एवं बी।
			2	तहसील भुआ बिछिया/घुघरी रुपये 500/- से अधिक मूल्य के लघुवाद प्रकरण।
			3	तहसील भुआ बिछिया एवं घुघरी से उद्भूत मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 163-ए, 164, 166 के अंतर्गत प्रस्तुत उपहति से संबंधित समस्त मुआवजा प्रकरण जिसमें दावेदार इस क्षेत्र में निवासरत हो या इस क्षेत्र में दुर्घटना हुई हो।
			4	तहसील मंडला, बिछिया एवं घुघरी से उत्पन्न भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत समस्त प्रकरण।
			5	तहसील मण्डला/भुआ बिछिया एवं घुघरी हिन्दू मैरिज एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
			6	तहसील मण्डला/भुआ बिछिया एवं घुघरी विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण (कुटुंब न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)
			7	तहसील मण्डला/भुआ बिछिया एवं घुघरी मुस्लिम महिला विवाह विघटन अधिनियम 1939 एवं मुस्लिम विधि के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले वैवाहिक प्रकरण (कुटुंब न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)
			8	तहसील मण्डला/भुआ बिछिया एवं घुघरी मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) लागूकरण अधिनियम 1937 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण (कुटुंब न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)
			9	तहसील मण्डला/भुआ बिछिया एवं घुघरी भारतीय किश्चियन विवाह अधि० 1872 एवं किश्चियन डायवोर्स एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण (कुटुंब न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)

			10	तहसील मण्डला/भुआ बिछिया एवं घुघरी विवाह विच्छेद अधि० 1869 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण (कुटुंब न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)
			11	तहसील मण्डला/भुआ बिछिया एवं घुघरी पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम 1936 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण (कुटुंब न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)
			12	तहसील मण्डला/भुआ बिछिया एवं घुघरी हिंदू अवयस्कता व संरक्षकता अधिनियम 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण (कुटुंब न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)
			13	तहसील मण्डला/भुआ बिछिया एवं घुघरी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं विवाहित संबंधों में संबंधित अन्य मामले।
			14	मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत राजस्व जिला मण्डला/भुआ बिछिया/घुघरी से संबंधित प्रकरण (बैंक एवं वित्तीय संस्थानों की ऋण वसूली ट्रिब्यूनल को प्राप्त हैं)
			15	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण या आवेदन पत्र।
05.	तृतीय जिला न्यायाधीश मण्डला	—	1	तृतीय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मण्डला से संबंधित मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों से उद्भूत होने वाली विविध कार्यवाहियों (चैक, निष्पादन प्रकरण, एम.जे.सी. प्रकरण आदि) से संबंधित प्रकरणों/आवेदनपत्रों के आलोक में की जाने वाली समस्त कार्यवाहियों।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण या आवेदन पत्र।
06.	चतुर्थ जिला न्यायाधीश मण्डला एवं श्रृंखला न्यायालय नैनपुर, जिला मण्डला	—	1	चतुर्थ मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मण्डला से संबंधित मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों से उद्भूत होने वाली विविध कार्यवाहियों (चैक, निष्पादन प्रकरण, एम.जे.सी. प्रकरण आदि) से संबंधित प्रकरणों/आवेदनपत्रों के आलोक में की जाने वाली समस्त कार्यवाहियों।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण या आवेदन पत्र।
		राजस्व तहसील नैनपुर	1	रुपया 1,00,00,001/—(एक करोड़ एक) रुपये से 2,00,00,000/—(दो करोड़) रुपये तक के नियमित व्यवहार वाद ए एवं बी।
			2	हिन्दू मैरिज एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
			3	विशेष विवाह अधि० 1954 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण (कुटुंब न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)
			4	मुस्लिम महिला विवाह विघटन अधि० 1939 एवं मुस्लिम विधि के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले वैवाहिक प्रकरण (कुटुंब न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)
			5	मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) लागूकरण अधि० 1937 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण (कुटुंब न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)

			6	भारतीय किश्चियन विवाह अधि० 1872 एवं किश्चियन डायवोर्स एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण (कुटुंब न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)
			7	विवाह विच्छेद अधि० 1869 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण (कुटुंब न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)
			8	पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधि० 1936 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण (कुटुंब न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)
			9	हिंदू अवयस्कता व संरक्षकता अधि० 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण (कुटुंब न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)
			10	बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं विवाहित संबंधों में संबंधित अन्य मामले।
			11	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ या कनिष्ठ खण्ड नैनपुर द्वारा पारित निर्णय या आदेश के विरुद्ध पेश व्यवहार अपील।
			12	तहसील नैनपुर से उद्भूत मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत मोटर दुर्घटना दावा के समस्त प्रकरण जिसमें दावेदार उस क्षेत्र में निवासरत हो या इस क्षेत्र में दुर्घटना हुई हो।
			13	रुपये 500/-से अधिक मूल्य के लघुवाद प्रकरण।
			14	श्रृंखला न्यायालय नैनपुर में निराकृत किये गये प्रकरणों के रिमाण्ड होने अथवा उनसे उत्पन्न अन्य अनुषांगिक कार्यवाहीयां
			15	तहसील नैनपुर से उत्पन्न भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत समस्त प्रकरण।
			16	1.थाना नैनपुर, 2.जी.आर.पी. थाना नैनपुर 3.थाना खटिया की पुलिस चौकी टाटरी के 27 गांव, जो तहसील नैनपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, 4. थाना बम्हनी की पुलिस चौकी पांडिवारा (तुरुर) के 16 गांव, जो तहसील नैनपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, से संबंधित रिट-पिटीशन (सिविल) क्रमांक 9322/2022 Gohar Mohammad V/s UP State Road Transport corporation & Ors. में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत दुर्घटना से संबंधित प्रस्तुत की जाने वाली पहली दुर्घटना रिपोर्ट (FAR), अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट (IAR) तथा विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (DAR)
			17	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला द्वारा समय- समय पर अंतरित प्रकरण या आवेदन पत्र।
07.	जिला न्यायाधीश तहसील निवास जिला मण्डला	राजस्व तहसील निवास एवं नारायणगंज	1	तहसील निवास एवं नारायणगंज से उद्भूत होने वाले 1,00,00,001/- (एक करोड़ एक) रुपये से 2,00,00,000/- (दो करोड़) रुपये तक के नियमित व्यवहार वाद ए एवं बी।
			2	रुपये 500/-से अधिक मूल्य के लघुवाद प्रकरण।
			3	हिन्दू मैरिज एक्ट के अंतर्गत प्रकरण।
			4	विशेष विवाह अधि० 1954 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण (कुटुंब न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)

06/07/2026

PDS

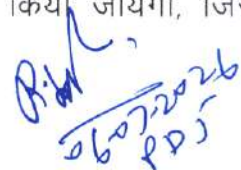
			5	मुस्लिम महिला विवाह विघटन अधि० 1939 एवं मुस्लिम विधि के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले वैवाहिक प्रकरण (कुटुंब न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में आने वाले प्रकरणोंको छोड़कर)
			6	मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) लागूकरण अधि० 1937 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण (कुटुंब न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)
			7	भारतीय किश्चियन विवाह अधि० 1872 एवं किश्चियन डायवोर्स एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण (कुटुंब न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)
			8	विवाह विच्छेद अधि० 1869 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण (कुटुंब न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)
			9	पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधि० 1936 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण (कुटुंब न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में आने वाले प्रकरणोंको छोड़कर)
			10	हिंदू अवयस्कता व संरक्षकता अधि० 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण (कुटुंब न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में आने वाले प्रकरणोंको छोड़कर)
			11	बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं विवाहित संबंधों में संबंधित अन्य मामले
			12	मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत राजस्व जिला मंडला से संबंधित प्रकरण(बैंक एवं वित्तीय संस्थानों की ऋण वसूली के ऐसे प्रकरणों को छोड़कर, जिनका क्षेत्राधिकार ऋण वसूली ट्रिब्यूनल को प्राप्त है)
			13	निवास में पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड द्वारा पारित निर्णय या आदेश के विरुद्ध पेश व्यवहार अपील।
			14	तहसील निवास एवं नारायणगंज से उद्भूत मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत मोटर दुर्घटना दावा के समस्त प्रकरण, जिनमें दावेदार इस क्षेत्र में निवासरत हों या इस क्षेत्र में दुर्घटना घटित हुई हो।
			15	निवास, टिकरिया एवं बीजाडांडी आरक्षी केन्द्रों द्वारा रिट-पिटीशन (सिविल) क्रमांक 9322/2022 Gohar Mohammad V/s UP State Road Transport corporation & Ors.में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत दुर्घटना से संबंधित प्रस्तुत की जाने वाली पहली दुर्घटना रिपोर्ट (FAR), अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट (IAR) तथा विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (DAR)
			16	तहसील निवास एवं नारायणगंज से उत्पन्न भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत समस्त प्रकरण।
			17	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला द्वारा समय- समय पर अंतरित प्रकरण या आवेदन पत्र।
08.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मण्डला	राजस्व जिला मण्डला की तहसील मण्डला, नैनपुर, बिछिया एवं घुघरी	1	मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 139, 172 के अंतर्गत पेश अपील।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला द्वारा समय- समय पर अंतरित प्रकरण या आवेदन पत्र।

			3	सिविल जज, वरिष्ठ खण्ड की सुनवाई योग्य अन्य कोई आवेदन पत्र एवं अपील (किसी अधिनियम द्वारा प्राधिकृत)।
09.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मण्डला	राजस्व जिला मण्डला की तहसील मण्डला	1	5,000,01/- (पांच लाख एक रुपये) से 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) मूल्य तक के व्यवहार वाद ए एवं बी।
			2	500/-रु. मूल्य तक के लघुवाद प्रकरण।
			3	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला द्वारा समय- समय पर अंतरित प्रकरण या आवेदन पत्र।
10.	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मण्डला	राजस्व जिला मण्डला की तहसील घुघरी एवं भुआ बिछिया	1	5,000,01/- (पांच लाख एक रुपये) से 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) मूल्य तक वादमूल्य के सभी व्यवहार वाद।
			2	तहसील मण्डला, बिछिया एवं घुघरी से उत्पन्न भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग-10 के अंतर्गत प्रकरण।
			3	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला द्वारा समय- समय पर अंतरित प्रकरण या आवेदन पत्र।
		ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रदत्त क्षेत्राधिकार	4	माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक 3415 दिनांक 06-10-2008 के द्वारा निर्धारित क्षेत्राधिकार की सीमा तक उत्पन्न होने वाले सिविल प्रकरण।
11	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मण्डला के अति० न्यायाधीश मण्डला		1	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला द्वारा समय- समय पर अंतरित प्रकरण या आवेदन पत्र।
12	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मण्डला	राजस्व जिला मण्डला की तहसील मण्डला एवं घुघरी	1	01/- (एक रुपये) से 5,00,000/-रु. (पांच लाख रुपये तक) के वादमूल्य के सभी व्यवहार वाद। (माह जुलाई से माह अगस्त की अवधि तक के प्रकरण)।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला द्वारा समय- समय पर अंतरित प्रकरण या आवेदन पत्र।
13	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मण्डला	राजस्व जिला मण्डला की तहसील मण्डला एवं घुघरी	1	01/- (एक रुपये) से 5,00,000/-रु. (पांच लाख रुपये तक) के वादमूल्य के सभी व्यवहार वाद। (माह नवम्बर से माह दिसम्बर की अवधि के प्रकरण)।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला द्वारा समय- समय पर अंतरित प्रकरण या आवेदन पत्र।
14	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मण्डला	राजस्व जिला मण्डला की तहसील मण्डला एवं घुघरी	1	01/- (एक रुपये) से 5,00,000/-रु. (पांच लाख रुपये तक) के वादमूल्य के सभी व्यवहार वाद। (माह सितम्बर से माह अक्टूबर की अवधि तक के प्रकरण)।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला द्वारा समय- समय पर अंतरित प्रकरण या आवेदन पत्र।
15	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड निवास	राजस्व तहसील निवास एवं नारायणगंज	1	5,00,001/- (पांच लाख एक रुपये) से रुपये 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) मूल्य तक के व्यवहार वाद ए एवं बी।
			2	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग-10 के अंतर्गत प्रकरण।

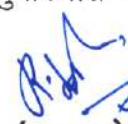
			3	मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 139, 172 के अंतर्गत पेश अपील।
			4	500/-रु. मूल्य तक के लघुवाद प्रकरण।
			5	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड निवास द्वारा निराकृत प्रकरणों के रिमाण्ड होने अथवा उनसे उत्पन्न अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियां।
			6	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला द्वारा समय- समय पर अंतरित प्रकरण या आवेदन पत्र।
16	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड निवास	राजस्व तहसील निवास एवं नारायणगंज	1	01/- (एक रुपये) से 5,00,000/-रु. (पांच लाख रुपये तक) के वादमूल्य के सभी व्यवहार वाद।
			2	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड निवास द्वारा निराकृत प्रकरणों के रिमाण्ड होने या उनसे उत्पन्न अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियां।
			3	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला द्वारा समय- समय पर अंतरित प्रकरण या आवेदन पत्र।
17	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मण्डला के अतिरिक्त न्यायाधीश नैनपुर	राजस्व तहसील नैनपुर	1	01/- (एक रुपये) से 1,00,00,000/-रु. (एक करोड़ रुपये) तक के वादमूल्य के सभी व्यवहार वाद।
			2	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग-10 के अंतर्गत प्रकरण।
			3	रुपये 500/- (पांच सौ रुपये) मूल्य तक के लघुवाद प्रकरण।
			4	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला द्वारा समय- समय पर अंतरित प्रकरण या आवेदन पत्र।
18	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड भुआ-बिछिया	राजस्व तहसील बिछिया	1	01/- (एक रुपये) से 5,00,000/-रु. (पांच लाख रुपये तक) तक वादमूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला द्वारा समय- समय पर अंतरित प्रकरण या आवेदन पत्र।

नोट :-

- 1- यह कार्य विभाजन आदेश इस सिविल जिला न्यायालय में लंबित किसी भी मामलों को प्रभावित नहीं करेगा। यदि उक्त कार्य विभाजन आदेश में कोई तथ्य छूट गया हो या कोई तथ्य लाना आवश्यक हो, तो तत्संबंध में भी शीघ्र अवगत कराया जावे।
- 2- कुटुम्ब न्यायालय मण्डला के प्रधान न्यायाधीश के अवकाशकाल एवं अनुपस्थिति की दशा में उनके क्षेत्राधिकार का सामान्य एवं आवश्यक प्रकृति का कार्य प्रथम जिला न्यायाधीश मंडला की न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(एट्रोसिटीज) मण्डला द्वारा सम्पादित किये जायेंगे।
- 3- किसी न्यायाधीश के अवकाशकाल एवं अनुपस्थिति अथवा स्थानांतरण होने की दशा में उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य संलग्न-कार्य प्रभार तालिका अनुसार उपस्थित प्रभारी द्वारा निष्पादित किया जावेगा।
- 4- जिन न्यायालयों/अधिकरण द्वारा मूल प्रकरण, विविध न्यायिक प्रकरण, आवेदन पत्र, क्लेम, पिटीशन निर्णीत किये गये हों, उनके निष्पादन प्रकरण व विविध प्रकरण या उससे उद्भूत कोई आवेदन पत्र भी उसी न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।
- 5- जब कभी पुनर्स्थापना अथवा एकपक्षीय निर्णय को अपास्त करने का आवेदन, मूल आदेश पारित करने वाले न्यायालय से भिन्न न्यायालय द्वारा निराकृत किया जाए, तब मूल पुनर्स्थापित प्रकरण, उसी न्यायालय द्वारा सुना एवं निराकृत किया जायेगा, जिसने प्रकरण पुनर्स्थापित करने का आदेश दिया है।

- 6- M0प्र0 सिविल कोर्ट एक्ट 1955 की धारा-21(4) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन आदेश दिया जाता है, कि ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन अवकाश में समस्त न्यायालय कार्य विभाजन आदेश के अन्तर्गत आबंटित क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उद्भूत होने वाले अत्यावश्यक कार्य का निराकरण कर सकेंगे।
- 7- जिला मुख्यालय मंडला तथा तहसील निवास एवं नैनपुर के किसी व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड का न्यायालय रिक्त होने पर उस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत कोई आवेदनपत्र, निष्पादन प्रकरण या रिमांड प्रकरण प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मण्डला द्वारा ग्रहण कर निराकृत किया जावेगा।
- 8- प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मण्डला के अतिरिक्त न्यायाधीश मण्डला के सप्ताह में 03 दिवस किशोर न्यायबोर्ड का कार्य होने से तथा उनके पास सिविल कार्य न होने से उनके न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत कोई आवेदन पत्र, निष्पादन प्रकरण या रिमांड प्रकरण द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मण्डला द्वारा संपादित किया जावेगा।
- 9- जिला मुख्यालय मंडला तथा तहसील नैनपुर, भुआ-बिछिया में किसी व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड (नियमित न्यायाधीश या ट्रेनी जज) के न्यायालय रिक्त होने की दशा में उनके द्वारा निराकृत प्रकरण से उद्भूत कोई आवेदन पत्र या निष्पादन प्रकरण या रिमांड प्रकरण प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मण्डला द्वारा ग्रहण कर निराकृत किया जायेगा।
- 10- श्रृंखला न्यायालय नैनपुर में कार्यरत न्यायाधीश, मुख्यालय मण्डला में कार्य के दौरान अपनी श्रृंखला न्यायालय से संबंधित क्षेत्र से उद्भूत मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, अपील या अन्य आवेदन पत्र ग्रहण कर निराकृत करेंगे तथा आगे ऐसे मामले श्रृंखला न्यायालय में पंजीबद्ध कर सुने जा सकेंगे।
- 11- तहसील निवास में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड निवास के न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों के रिमांड होने पर या अन्य अनुषांगिक कार्यवाही प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड निवास द्वारा की जायेगी।
- 12- जिला मुख्यालय मंडला पर कोई जिला न्यायाधीश की न्यायालय रिक्त होने पर उन न्यायालयों द्वारा निराकृत किये गये प्रकरणों के रिमांड अथवा उनसे उत्पन्न अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों की सुनवायी द्वितीय जिला न्यायाधीश मण्डला द्वारा की जायेगी तथा द्वितीय जिला न्यायाधीश मण्डला का पद रिक्त होने की दशा में उक्त प्रकरणों की सुनवायी मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठ जिला न्यायाधीश द्वारा की जायेगी।
- 13- प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मण्डला एवं द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मण्डला के रिक्त न्यायालय से उत्पन्न प्रकरण/आवेदन पत्र इत्यादि का कार्य चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ मण्डला के द्वारा संपादित किया जायेगा। अवकाश अथवा प्रशिक्षण यात्रा की दशा में कार्य प्रभार तालिका अनुसार कार्य संपादित किया जायेगा।
- 14- जिला मुख्यालय मण्डला पर तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मण्डला के रिक्त न्यायालय से उत्पन्न प्रकरण/आवेदन पत्र इत्यादि का कार्य चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मण्डला द्वारा संपादित किया जायेगा।
- 15- जिला मुख्यालय मण्डला पर उपरोक्त न्यायिक अधिकारीगण की अनुपस्थिति की दशा में कार्य प्रभार तालिका अनुसार संपादित किया जायेगा।


(कमल जोशी)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
मंडला (म.प्र.)

पृष्ठांकन क. 675/एक-9-2/2009
प्रतिलिपि-

मण्डला, दिनांक 06/07/2026

01. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर,
02. प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय मंडला,
03. विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/जनजाति 'अत्याचार निवारण' अधिनियम) मंडला,
04. प्रथम/द्वितीय/तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मण्डला
05. चतुर्थ जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश मण्डला एवं श्रृंखला न्यायालय नैनपुर
06. जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश निवास

07. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मण्डला
08. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड की न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश मण्डला
09. द्वितीय/चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला
10. तृतीय/चतुर्थ/पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड व न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला
11. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड व न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निवास
12. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड व न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निवास
13. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड की न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश नैनपुर
14. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड व न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भुआबिछिया
15. प्रस्तुतकार/निज सहायक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडला
16. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ मण्डला/निवास/नैनपुर/भुआ बिछिया
17. कलेक्टर, जिला मण्डला,
18. पुलिस अधिक्षक, जिला मण्डला
19. जे0एस0ए0/डी0एस0ए0 जिला न्यायालय मण्डला के वेबसाईड पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
20. पंजीयन लिपिक/तलवाना लिपिक मंडला/निवास/नैनपुर/बिछिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वास्ते/-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
मंडला (म.प्र.)